

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-215/2016/सी0एम0-676/चि0-3-16-टी-1(103)/2016
लखनऊ : दिनांक: 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय जाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अरुण कुमार (वरि0क्रमांक-11840, ले0-3) रेडियोलॉजिस्ट जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी को जिला महिला चिकित्सालय, आगरा एवं डा0 अनिल कुमार स्याल(वरि0क्रमांक-10865, ले0-3) रेडियोलॉजिस्ट जिला महिला चिकित्सालय, आगरा को जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी में पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- उक्त दोनों चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करायें।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-215/2016/सी0एम0-676(1)/चि-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक /निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आगरा/मैनपुरी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/मैनपुरी।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी, डा0 अरुण कुमार(द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी)।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी, डा0 अनिल कुमार स्याल (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आगरा।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
9. प्राभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-217/2016/CM-499 /चि0-3-16-टी0-1(64)/2016
लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय जाप

डा0 राधेश्याम चौहान, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-12438, लेवल-2), जिला महिला चिकित्सालय, बांदा को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही (संतरविदास नगर) के अधीन चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 राधेश्याम चौहान को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-217/2016/CM-499 (1)/चि-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा/मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बांदा।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही (संतरविदास नगर)।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा/भदोही (संतरविदास नगर) ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बांदा ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें ।
11. चिकित्सा अनुभाग-2/8
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 218/2016/CM-559 /चि0-3-16-टी0-1(64)/2016

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

डा0 अखिलेश कुमार, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-13675, लेवल-2), जिला चिकित्सालय, सीतापुर को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर-खीरी के अधीन चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 अखिलेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

218/2016/CM-559
संख्या- (1)/चि-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सीतापुर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर/लखीमपुर-खीरी।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सीतापुर।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें ।
11. चिकित्सा अनुभाग-2/8
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।